न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
51 / 2022

तारीख फैसला
12.11.2022

उनवान

1– रामरतन अजमेरा पुत्र रामनाथ जाति महाजन निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री दिनेश वेष्णव एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद में स्थित खसरा नम्बर 140 रकबा 3.18 हेक्टर कब्जे काश्त में चली आ रही है। जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उक्त आराजी में वादी के पिता का नाम बालूराम अंकित हो रहा है जबकि वादी के पिता का नाम दत्तक पुत्र रामनाथ दर्ज होना चाहिये था।

यह कि वादी के खातेदारी की उक्त आराजी में वसीयत के आधार पर आयी थी अन्य ग्राम की आराजी वाके ग्राम दीगोद में वादी के पिता का नाम दत्तक पुत्र रामनाथ दर्ज हो रहा है जो सही है परन्तु उम्मेदपुरा की कृषि आराजी में वादी के पिता का नाम बालूराम दर्ज हो रहा है पूर्ण रूप से गलत दर्ज हो रहा है।

यह कि वादी का पिता का नाम बालूराम दर्ज होने के कारण वादी को किसान ऋण खाद बीज का क्रय करने अन्य सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नही हो रहा है जिससे वादी सरकारी योजना के लाभ से वंचित हो रहा है। जबकि वादी के राश कार्ड , पहचान पत्र , आधार कर्ड, भामाशाह कार्ड में वादी के पिता का नाम रामनाथ दर्ज है जो कि सही है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:–

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद में वादी के खाते में खसरा नं0 140 रकबा 3.18 हेक्टर , भूमि में वादी के पिता बालुराम के स्थान पर दत्तक पुत्र रामनाथ दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर डिक्री पारित की जावे।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद, कोटा (राज.)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि अन्य खाते में दर्ज व्यक्ति व वादी एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। वादी द्वारा साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र , कार्यालय ग्राम पंचायत डूँगरज्या का दिनांक 04.05.2022 को जारी प्रमाण पत्र में भी रामरतन पुत्र बालूराम के स्थान पर रामरतन दत्तक पुत्र रामनाथ दर्ज किया जाने की अभिशंषा की गई है। पटवारी हल्का डूँगरज्या से दिनांक 28.06.2022 की रिपोर्ट अनुसार रामरतन पुत्र बालूराम के स्थान पर रामरतन दत्तक पुत्र रामनाथ दर्ज करने की अनुशंषा जाररी की गई हे। एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद में वादी के खाते में खसरा नं0 140 रकबा 3.18 हेक्टर भूमि में वादी का नाम रामरतन पुत्र बालूराम के स्थान पर रामरतन दत्तक पुत्र रामनाथ दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद जिला कोटा (राज.)	सदस्य तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद जिला कोटा (राज.)	अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद, कोटा (राज.)